संख्या-43/2022/1358/22-4-2021-48(41)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश लखनऊ

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 24 मार्च 2022

विषय- कारागारों से मुख्यालय के मध्य होने वाली वर्चअल समीक्षा बैठकों हेतु मल्टी कान्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16474/आधु-1/म0का0यू0/2021-22, दिनांक-12 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या-35128/आधु-1/म0का0यू0/2021-22, दिनांक-09 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों से कारागार मुख्यालय के मध्य होने वाली वर्चुअल समीक्षा बैठकों हेतु मल्टी कान्फ्रेन्स यूनिट की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 80.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 80,00,000/- (रूपया अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं:-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा|

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीने और साज/सज्जा उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-12-3542-X-2021-22-, दिनांक-23.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2022/1358/22-4-2022, तददिनांकित-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(7) गार्ड फाइल।

भवदीय

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in